राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 104 / 2021

राजेश देवी पत्नी रामकरण जाति अहीर उम्र साल निवासी श्यामपुरा तन नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीया

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 13–07–2021**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 60 में प्रार्थीया का नाम राजबाला पत्नी रामकरण के स्थान पर राजेश देवी पत्नी रामकरण दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतडी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 60 ग्राम श्यामपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 60 में प्रार्थीया का नाम राजबाला पत्नी रामकरण के स्थान पर राजेश देवी पत्नी रामकरण दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 60 में प्रार्थीया का नाम राजबाला पत्नी रामकरण के स्थान पर राजेश देवी पत्नी रामकरण दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Riy

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी